न्यायाधीश ***एस. एस. निज्जर और निर्मल यादव***

तरलोक सिंह, — याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और *अन्य, उत्तरदाता*

सीडब्ल्यूपी. न 4377 / CAT / 2001

20 जुलाई, 2005

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 226 — निर्देश दिनांकित 27 फरवरी, 1978 — भारतीय रेलवे की स्थापना मैनुअल-पैरा 206.1-एक वरिष्ठ लोको इंस्पेक्टर, जो विदेश में प्रतिनियुक्ति था इसलिए पदोन्नति के लिए साक्षात्कार में आने में असफल रहा — उनके जूनियर सहायक मैकेनिकल इंजीनियर कक्षा II भी पदोन्नत हो चुके है। —प्रतिनियुक्ति से वापसी के बाद याचिकाकर्ता ने रेलवे बोर्ड को प्रतिनिधित्व दिया और अनुमति मिलने पर पदोन्नति दी गई — वरिष्ठ पैमाने के लिए दावा — निर्देश का Cl(ii), 27 फरवरी, 1978 केवल उन वर्ग को प्रदान करते हैं 3 वर्ष से कम गैर-भाग्यशाली सेवा वाले II अधिकारी नहीं हैं वरिष्ठ पैमाने पर अनुदान के लिए माना जाता है — याचिकाकर्ता 3 साल की गैर-भाग्यशाली सेवा कक्षा II प्रतिपादन से पहले सेवानिवृत्त हुए — बोर्ड ने वरिष्ठ पैमाने का अनुदान पैरा 206.1 के तहत माना करा- याचिकाकर्ता प्रोफार्मा पदोन्नति का हकदार था - पैनल में याचिकाकर्ता का नाम शामिल है 1980, वह परिणामी राहत से इनकार नहीं किया जा सकता है — याचिकाकर्ता अगर अपनी वापसी पर तुरंत पदोन्नत किया जाता तो वह कक्षा II की 3 साल की वास्तविक सेवा

पूरी कर लेता -वह भी पूरा हो गया होगा निर्देशन करते समय बाद की याचिका पर की अनुमति है और उत्तरदाताओं को निर्देश हैं कि याचिकाकर्ता का प्रोफार्मा पदोन्नति जारी की जाये साथ में परिणामी लाभ दिया जाये और चयन ग्रेड उस तारीखों से दिया जाये जब से जूनियर व्यक्तियों को दिया गया था।

निर्णीत , **उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता पर घोर अन्याय किया गया है -उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को दाहिने हाथ से लाभ दिया गया लगता है , जिसे अस्वीकार कर दिया गया है या बाएं हाथ से ले लिया गया है - यह सही है कि, उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता का नाम 1980 से प्रभावी जब जूनियर व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया था- पूर्वोक्त सहानुभूति प्रदान करने के बाद, याचिकाकर्ता को परिणामी लाभ न देना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और असमान होगा-ट्रिब्यूनल ने कानून की त्रुटि की है क्यूकी उन्होंने निर्णय लेते हुए रेलवे बोर्ड के पत्र 27 फरवरी 1978 पर अपना निर्णय आधारित किया है। पूर्वोक्त निर्देशों का खंड (i) नीचे दिया गया है जो कहता है कि कक्षा II की *पदोन्नति* वरिष्ठता पर होगी। खण्ड (ii) प्रदान करता है कि केवल उन द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के साथ कक्षा II में 3 साल से कम की गैर-भाग्यशाली सेवा नहीं होनी चाहिए तदर्थ पैनल के लिए विचार किया गया। यहां तक कि विषय की बात भी निर्देश द्वितीय श्रेणी रेलवे अधिकारियों पर वरिष्ठ पैमाने पर बढ़ावा देने से संबंधित है । ये निर्देश विशेष रूप से उस स्थिति के साथ संबंधित हैं जहां आपातकालीन स्थितियों के लिए कुछ पदोन्नतियों की आवश्यकता होती है. आपातकालीन स्थितियों के लिए अंतराल की व्यवस्था। याचिकाकर्ता का दावा इन निर्देशों के तहत खारिज नहीं किया जा सकता था।**

याचिकाकर्ता का दावा भारतीय रेलवे की स्थापना नियमावली पैरा 206.1 के तहत विचार करना होगा। उत्तरदाताओं के पास वास्तव में है याचिकाकर्ता के दावे पर विचार किया और उसके नाम को साथ 1980 से प्रभाव में आया। पैरा 206.1 के तहत याचिकाकर्ता शौकीन था प्रोफार्मा प्रमोशन के लिए। पूर्वोक्त पैरा में, यह स्पष्ट रूप से रखी गई है की उस उपयुक्त उम्मीदवारों को पैनल प्रोफार्मा में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा। उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को साथ देने का फैसला किया 1980 से प्रभाव याचिकाकर्ता को परिणामी राहत से इनकार नहीं कर सकता जिस तारीख से उनका नाम पैनल में शामिल किया गया था।

(पैरा 7)

आगे अभिनिर्णित, **कि रोजगार का लाभ दिया है 1980 से याचिकाकर्ता के पास, वही नहीं लिया जा सकता है यह पकड़कर कि उसी अवधि को सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा पदोन्नति और चयन ग्रेड के उद्देश्य। चूंकि याचिकाकर्ता के पास है को पदोन्नति दी गई है और यह नियमों के दायरे में है, इसे सौभाग्यशाली सेवा नहीं कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह होगा यहां तक कि 27 फरवरी के पत्र में निहित निर्देशों के तहत आते हैं, 1978 गैर-भाग्यशाली सेवा के रूप में हैं। याचिकाकर्ता हकदार था इक्विटी में राहत के लिए इसलिए, खंड को हटाने का लाभ नहीं हो सकता है किसी भी नियम या निर्देशों की तकनीकीता से पराजित होने की अनुमति हैं। अगर याचिकाकर्ता को उसकी वापसी पर तुरंत पदोन्नत किया जाता, तो वह करता कक्षा II पद पर तीन साल की वास्तविक सेवा भी पूरी कर ली है और चयन ग्रेड के हकदार होंगे।**

(पैरा 10)

राजीव अत्मा राम, सीनियर अधिवक्ता.

एच.बी. सिंह, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए.

पुनीत जिंदल, उत्तरदाताओं नंबर 1 और 2 के लिए वकील

तारलोक सिंह वी. भारत संघ और अन्य101

(एस.एस. निज्जर, जे।)

निर्णय

न्यायाधीश एस.एस. निज्जर, (मौखिक)

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस रिट याचिका में, याचिकाकर्ता केंद्रीय प्रशासन द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.2.2001 (अनुलग्नक पी -4) को रद्द करते हुए सर्टिओ रारी की प्रकृति में एक रिट जारी करने की मांग करता है। OA 727/CH/1992 में ट्रिब्यूनल (इसके बाद इसे "ट्रिब्यूनल" के रूप में संदर्भित किया गया है) इस हद तक कि यह याचिकाकर्ता को वरिष्ठ वेतनमान के अनुदान के लिए अयोग्य मानता है। याचिकाकर्ता ने परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने की भी मांग की है, जिसमें उत्तरदाताओं को मार्च, 1983 से उनके कनिष्ठ एसएस कपूर के बराबर वरिष्ठ वेतनमान में वेतन निर्धारण, बकाया भुगतान जैसे सभी परिणामी लाभों के साथ उनका वेतन तय करने का निर्देश दिया जाए। 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित पेंशन और ग्रेच्युटी का पुनर्निर्धारण।

(2) दलील के अनुसार संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता 4.10.1947 को भारतीय रेल में क्लीनर के रूप में शामिल हुआ। उन्होंने समय-समय पर विभिन्न पदों पर पदोन्नति अर्जित की। 2.5.1962 से सीनियर लोको इंस्पेक्टर के रूप में उनका अंतिम प्रो मोशन था। अप्रैल, 1979 में इस तरह काम करते हुए, उन्हें तीन साल की अवधि के लिए रेलवे की स्थापना और संचालन के लिए

नाइजीरिया में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। अप्रैल, 1982 में उनकी वापसी पर, उन्हें डीजल लोको शेड, लुधियाना में सीनियर लोको इन स्पेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। वह 13.5.1982 को शामिल हुए। जब याचिकाकर्ता प्रतिनियुक्ति पर था, तब उससे कनिष्ठ लगभग 31 व्यक्तियों को मार्च, 1980 से नियमित आधार पर द्वितीय श्रेणी सेवा में सहायक यांत्रिक यांत्रिक अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता से कनिष्ठ कुछ अन्य व्यक्तियों को भी सहायक यांत्रिक के रूप में पदोन्नत किया गया था। एडहॉक आधार पर इंजीनियर। याचिकाकर्ता के पदोन्नति के दावे पर उस समय विचार नहीं किया गया जब उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने आवश्यक राहत के लिए कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। उन्हें दिनांक 13.7.1984 के आदेश (लिखित विवरण के लिए अनुलग्नक आर-2) द्वारा चयन लंबित रहने तक तदर्थ आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई थी। याचिकाकर्ता ने 15.8.1984 को एएमई डीजल (पदोन्नति पद) का कार्यभार संभाला। इसके बाद, उन्होंने समूह (बी) सेवाओं में एएमई के चयन को मंजूरी दे दी और 12.10.1984 को दंड पर रखा गया। दिनांक 16.6.1993 के आदेश द्वारा उनके कनिष्ठों को पैनल में शामिल किये जाने की तिथि से उनका नाम भी 1980 के पैनल में शामिल किया गया था। इससे पहले कि याचिकाकर्ता ग्रुप (बी) में तीन साल की गैर-आकस्मिक सेवा प्रदान कर पाता, वह 31.12.1985 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया। उस समय, उन्होंने 15.8.1984 से 31.12.1985 तक केवल ग्रुप

(बी) में एएमई के रूप में सेवा प्रदान की थी। उत्तरदाताओं के अनुसार, समूह (बी) में वरिष्ठ वेतनमान प्रदान करने की पात्रता की शर्त के लिए, गैर-आकस्मिक सेवा पर न्यूनतम 3 वर्ष की आवश्यकता आवश्यक है। याचिकाकर्ता द्वारा गैर आकस्मिक सेवा के न्यूनतम वर्ष पूरे नहीं किये गये। इसलिए, दिनांक 13.3.1992 के आदेश द्वारा, रेलवे बोर्ड ने याचिकाकर्ता को वरिष्ठ वेतनमान देने से इनकार कर दिया। उत्तरदाताओं ने यह भी कहा है कि जिस समय उनके कनिष्ठों की पदोन्नति पर विचार किया गया, उस समय उन्हें भी साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। नाइजीरिया में प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण वह उपस्थित नहीं हो सके। इस प्रकार, 31.12.1980 को पदोन्नति के लिए सूचीबद्ध किए गए 31 उम्मीदवारों में याचिकाकर्ता से कनिष्ठ व्यक्ति भी शामिल थे। भारतीय रेल स्थापना नियमावली का पैरा 206.1 प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की पदोन्नति के मामलों पर विचार से संबंधित है। हम तत्काल संदर्भ के लिए इस स्तर पर प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं:-

"206.1. प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों पर विचार। ऐसे मामलों में जहां चयन के लिए पात्र कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/द्वितीय नियुक्ति पर विदेश में हैं, उनके वापस लौटने की संभावना नहीं है, उन्हें पहले चयन के लिए बुलाया जाना चाहिए और उसके बाद उनके प्रदर्शन के आधार पर विदेश में उनकी अनुपस्थिति के दौरान तय किए गए दंड में प्रोफार्मा शामिल करने के लिए उनके चयन पर विचार किया जाना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी को इस प्रकार पैनल में शामिल किया जाता है तो उसे कोई बकाया देय नहीं होगा

और समूह बी में भुगतान करने का अधिकार उसकी वास्तविक तिथि से ही शुरू किया जाएगा। इस प्रकार विस्तारित पैनल के लिए स्थानापन्न पदोन्नति के लिए बोर्ड की मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए। पात्र कर्मचारियों के संबंध में जो देश के भीतर कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति पर हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे कर्मचारियों को पर्याप्त अग्रिम सूचना दी जाए और चयन में उन पर विचार किया जाए। जरूर।"

लिखित बयान में, उत्तरदाताओं ने पत्र संख्या ई (जीपी) 75/एल/58 दिनांक 27.2.1978 में निहित निर्देशों से प्रासंगिक उद्धरण भी दोहराया है, जिसमें अनुदान के लिए तीन साल की गैर-आकस्मिक सेवा की शर्तें बताई गई हैं। चयन ग्रेड जिसे हम निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत भी कर सकते हैं: -

“(i) चूंकि वरिष्ठ वेतनमान में स्थानापन्न पदोन्नति के लिए द्वितीय श्रेणी अधिकारी की उपयुक्तता का निर्णय उसकी वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा, जो कि फिटनेस के अधीन है, विचार का क्षेत्र उतने ही वर्ग-द्वितीय अधिकारियों तक सीमित रहेगा जितनी संख्या में पैनल में शामिल किया जाना है। यदि इस प्रकार विचार किए गए लोगों में से आवश्यक संख्या नहीं मिलती है, तो विचार की जाने वाली संख्या में कमी के अनुसार वृद्धि की जा सकती है।

(ii) केवल ग्लास II अधिकारी जिसने क्लास II में कम से कम 3 साल की गैर-आकस्मिक सेवा की है, उसे तदर्थ पैनल के लिए विचार किया जाएगा।" याचिकाकर्ता, हालांकि, मौलिक नियम 30 पर भरोसा करता है जो इस प्रकार है: -

"नियम: जब किसी पद पर एक अधिकारी (चाहे उसकी सेवा के कैडर के भीतर हो या नहीं) को किसी भी कारण से उच्च ग्रेड या स्केल पर किसी पद पर अपनी बारी में कार्य करने से रोका जाता है, जो उस सेवा के कैडर पर आधारित होता है जिससे वह संबंधित है उसे उपयुक्त प्राधिकारी के विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है। ऐसे वेतनमान या ग्रेड में स्थानापन्न पदोन्नति का प्रोफार्मा और उसके बाद उस वेतनमान या ग्रेड का वेतन दिया जाना चाहिए, यदि वह ऐसे अवसर पर उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, जिस पर अधिकारी उससे ठीक कनिष्ठ हो। उसकी सेवा का संवर्ग उस वेतनमान या ग्रेड में स्थानापन्न वेतन प्राप्त करता है।"

(3) यह दलील दी गई कि एसएस कपूर को मार्च, 1980 में सहायक मैकेनिकल इंजीनियर वर्ग II के रूप में पदोन्नत और नियुक्त किया गया था। वह याचिकाकर्ता से कनिष्ठ होने के कारण याचिकाकर्ता को उसी तिथि से प्रोफार्मा पदोन्नति का अधिकार देगा। याचिकाकर्ता ने प्रोफार्मा पदोन्नति और चयन ग्रेड देने का दावा करते हुए ट्रिब्यूनल में ओए दायर किया। ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, यह कहा गया कि आवेदक का उसके कनिष्ठ के संबंध में समूह (बी) में पदोन्नति वेतन निर्धारण का दावा विचाराधीन है। इसलिए, ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादियों को निर्देश जारी किया कि वे मामले पर यथाशीघ्र और अधिमानतः आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर निर्णय लें। दिनांक 27.2.1978 के निर्देश के आधार पर आवेदक का वरिष्ठ वेतनमान देने का दावा खारिज कर दिया गया है। यह माना गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता प्रतिनियुक्ति पर था और उसे 1984 में पैनल में रखा गया था, इसलिए उसे द्वितीय श्रेणी में

तीन साल की गैर-आकस्मिक सेवा प्रदान करने का अवसर नहीं मिला। भले ही उनका नाम "1980 के चयन पैनल में शामिल किया गया था, लेकिन इससे वह चयन ग्रेड के लिए पात्र नहीं होंगे"। यह ट्रिब्यूनल के आदेश का वह हिस्सा है जिसे याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी है।

(4) हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और पेपर-बुक का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

(5) विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव आत्मा राम का कहना है कि याचिकाकर्ता प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण अपने कनिष्ठों के साथ पदोन्नति पर विचार करने का हकदार है। प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के पूरे दावे को स्वीकार कर लिया है कि उसका नाम 1980 के पैनल में शामिल किया गया था। अब परिणामी राहत इस आधार पर नहीं दी जा सकती है कि उसके पास क्लास II पोस्ट के तहत तीन साल की वास्तविक सेवा नहीं थी। गैर-आकस्मिक सेवा खंड उस याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं होगा जिसे उत्तरदाताओं द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने भारत संघ और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया है वी. केबी राजोरिया, जेटी 2000(4) एससी 213 और राम लाल अग्रवाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य , 1968 एसएलआर 800 के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच का एक निर्णय। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को भेजा है। प्रतिनियुक्ति पर, अब अपने से कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नत किए जाने की तिथि से प्रोफार्मा/मानित पदोन्नति के लाभ से इनकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 1980 से याचिकाकर्ता को सूचीबद्ध

करने वाले उत्तरदाता सभी परिणामी लाभों के प्रयोजनों के लिए वास्तविक सेवा के रूप में गणना की जाने वाली उपरोक्त अवधि के लाभ से इनकार नहीं कर सकते हैं। उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने आशा रानी लांबा बनाम हरियाणा राज्य, 1983(1) एसएलआर 400 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद भी, याचिकाकर्ता ने कर्तव्यों को फिर से शुरू किया 13.5.1982 को। वह 31.12.1985 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए। यदि याचिकाकर्ता को उसकी वापसी पर वास्तविक पदोन्नति जारी की गई होती, तो उसने 12.5.1985 को तीन साल की वास्तविक सेवा पूरी कर ली होती। इसलिए, किसी भी परिस्थिति में, प्रतिवादी याचिकाकर्ता को प्रोफार्मा पदोन्नति और चयन ग्रेड की राहत से इनकार नहीं कर सकते।

(6) उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री पुनीत जिंदल ने जोरदार तर्क दिया कि निर्देशों में निहित प्रावधानों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को प्रोफार्मा पदोन्नति या चयन ग्रेड नहीं दिया जा सकता है अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील रुद्र कुमार सेन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य अन्य और एसएन ढींगरा और अन्य। बनाम। भारत संघ और अन्य। के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भरोसा करते हैं।

(7) पक्षों के वकील की दलीलों पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता के साथ घोर अन्याय किया गया है। ऊपर वर्णित तथ्यों के अवलोकन से पता चलता है कि उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को दाहिने हाथ से लाभ दिया था, जिसे बाएं हाथ ने देने से इनकार कर दिया या छीन लिया। बिल्कुल सही,

उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता का नाम 1980 से सूचीबद्ध किया है जब उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया था। उपरोक्त सूचीबद्धता प्रदान करने के बाद, याचिकाकर्ता को परिणामी लाभों से वंचित करना पूरी तरह से न्यायसंगत और असमान होगा। हमारी राय में, ट्रिब्यूनल ने रेलवे बोर्ड के दिनांक 27.2.1978 के पत्र को आधार बनाकर अपना निर्णय लेने में कानूनी त्रुटि की है। उपरोक्त निर्देशों के खंड (i) में कहा गया है कि कक्षा II में पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर, फिटनेस के अधीन की जाएगी। खंड (ii) में प्रावधान है कि केवल उन द्वितीय श्रेणी अधिकारियों पर तदर्थ पैनल के लिए विचार किया जाएगा जिनकी कक्षा II में कम से कम 3 वर्ष की गैर-आकस्मिक सेवा है। यहां तक की निर्देशों की विषयवस्तु रेलवे में द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की वरिष्ठ बिक्री के पद पर स्थानापन्न पदोन्नति से संबंधित है। ये निर्देश स्पष्ट रूप से उस स्थिति से निपटते हैं जहां आपातकालीन स्थितियों के लिए स्टॉप-गैप व्यवस्था के रूप में कुछ पदोन्नति की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ता के दावे पर भारतीय रेलवे की स्थापना नियमावली के पैरा 206.1 के तहत विचार किया जाना चाहिए। उत्तरदाताओं ने वास्तव में याचिकाकर्ता के दावे पर विचार किया और 1980 से उसका नाम सूचीबद्ध किया। पैरा 206.1 के तहत, याचिकाकर्ता प्रोफार्मा पदोन्नति का हकदार था। उपरोक्त पैरा में, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि पैनल में प्रोफार्मा शामिल करने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को 1980 से पैनल में शामिल करने का निर्णय लिया

है, जिस दिन से याचिकाकर्ता का नाम पैनल में शामिल किया गया था, तब से उसे परिणामी राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। निर्देशों और पैरा 206.1 की कोई अन्य व्याख्या प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारियों को सेवा में ब्रेक के अधीन कर देगी। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि जो व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर है, वह अपने मूल विभाग में ग्रहणाधिकार को तब तक बनाए रखता है जब तक कि इसे रद्द या रद्द नहीं कर दिया जाता है।हमारी सुविचारित राय है कि आरएल अग्रवाल के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच द्वारा की गई टिप्पणियां याचिकाकर्ता के मामले पर पूरी तरह से लागू होती हैं। पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 4.13 की व्याख्या पर विचार करते हुए, जिसे "अगला नियम" के रूप में जाना जाता है, डिवीजन बेंच ने इस प्रकार कहा: -

11. ऊपर उद्धृत नोट 4 में विस्तृत रूप से बताया गया है जिसे आधिकारिक भाषा में "अगला नीचे नियम" के रूप में जाना जाता है। हालांकि इस नियम का महत्व पूरे देश में सेवा नियमों में अच्छी तरह से समझा जाता है, फिर भी पंजाब सिविल सेवा में इसकी कोई परिभाषा नहीं है। नियम। इस नियम की कोई सटीक परिभाषा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, "अगले नीचे नियम" द्वारा आंतरिक रूप से जो संकेत दिया गया है वह यह है कि एक अधिकारी अपनी नियमित लाइन (प्रतिनियुक्ति आदि सहित) से बाहर दिखाए जाने के लिए पदोन्नत होने का हकदार है। यदि उसके नीचे के सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार पदोन्नत किया गया है तो वह अपने मूल विभाग में उच्च पद पर है। यह नियम उसकी नियमित पंक्ति के भीतर या किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत अधिकारी को यह सुनिश्चित

करता है कि उसे उसी पद पर रखा जाएगा जिस पर वह होता। यदि उसे अपने मूल विभाग में इस प्रकार प्रतिनियुक्त नहीं किया गया होता। हालाँकि जिस भाषा में नोट 4 के प्रावधान दिए गए हैं वह अस्पष्ट है, फिर भी यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि यह एक ऐसे अधिकारी के हितों की रक्षा करने के लिए निर्देशित है जो स्थानापन्न पदोन्नति का हकदार होने के बावजूद नहीं कर सकता वास्तव में उसके होने के कारण अवसर का लाभ उठाएं, जैसा कि नियम "नियमित लाइन" से बाहर या सेवा की सामान्य लाइन के बाहर बताता है। नोट 4 के प्रावधान आगे यह प्रावधान करते हैं कि उचित कदम यह होना चाहिए कि उन अधिकारियों को, जो नियमित लाइन से बाहर हैं या अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं, ऐसे विशेष पदों से मुक्त किया जाए ताकि वे इससे वंचित न रहें। स्थानापन्न पदोन्नति की संभावना जो उन्हें पर्याप्त अवधि के लिए मिल सकती है। इस प्रकार सरकार पर एक आवश्यकता डाली जाती है कि वह उस अधिकारी को वापस बुलाने की व्यवस्था करे, जिसे स्थानापन्न पदोन्नति का मौका मिलने की संभावना है। हालाँकि, यह प्रावधान किया गया है कि जहां सार्वजनिक हित या सेवा की अन्य अत्यावश्यकताओं में किसी अधिकारी को वापस नहीं बुलाया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में वह मूल विभाग द्वारा उच्च वेतन वाले पद के वेतन के साथ मुआवजा पाने का हकदार होगा। संक्षेप में, इसलिए, नोट 4 के प्रावधान यह दर्शाते हैं कि या तो सरकार स्थानापन्न पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारी को नियमित लाइन पर वापस बुला लेती है या ऐसा न करने पर, ऐसे अधिकारी को मुआवजा देने का प्रावधान किया जाता है यदि वह ऐसा नहीं करता है, या उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता है। "

(8) केबी राजोरिया (सुप्रा) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने "नोशनल प्रमोशन" शब्द पर विचार किया और व्याख्या की। एक कृष्णमूर्ति को दिनांक 10.6.1998 के आदेश द्वारा 22.2.1995 से काल्पनिक पदोन्नति दी गई थी। महानिदेशक (कार्य) के पद पर पदोन्नति के लिए, नियमों के तहत अन्य बातों के साथ-साथ 'ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा वाले अतिरिक्त महानिदेशक (कार्य)' में से पदोन्नति की आवश्यकता थी। कृष्णमूर्ति को पदोन्नति देने पर विचार किया गया। केबी राजोरिया ने कैट के समक्ष एक आवेदन दायर कर दावा किया कि वह भी इस पद के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि डीपीसी 1995-96 में हुई होती तो उन्हें अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया जा सकता था जो 1.5.1995 को खाली हुआ था। इसलिए उन्हें 1.5.1995 से नोशनल प्रमोशन दिया जाना चाहिए था। इसके बाद वह महानिदेशक पद पर पदोन्नति के पात्र हो जाते। ट्रिब्यूनल ने राजोरिया के आवेदन को खारिज कर दिया, जिसे उन्होंने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने माना कि न तो राजोरिया और न ही कृष्णमूर्ति महानिदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए कट ऑफ डेट यानी 1.7.1997 को पात्र थे। उच्च न्यायालय के अनुसार, नियमों में "नियमित सेवा" शब्द का अर्थ वास्तविक सेवा है और काल्पनिक पदोन्नति की कल्पना नियमों के तहत आवश्यक दो साल के अनुभव के बराबर नहीं होगी। उच्च न्यायालय का मानना था कि दिनांक 10.6.1998 के आदेश द्वारा कृष्णमूर्ति को दी गई सांकेतिक वरिष्ठता अतिरिक्त महानिदेशक (कार्य) के रूप में दो साल की नियमित सेवा की आवश्यकता का विकल्प नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के समक्ष राजोरिया की इस सहमति को नजरअंदाज कर दिया कि वह कृष्णमूर्ति की

पात्रता को चुनौती नहीं दे रहे हैं। नतीजतन, यह माना गया कि उच्च न्यायालय ने राजोरिया में अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर रिट याचिका को खारिज नहीं करके गलती की। आगे यह माना गया कि उच्च न्यायालय ने "ग्रेड में नियमित सेवा" शब्दों को "वास्तविक शारीरिक सेवा" के रूप में समझने में गलती की। यदि ऐसा था, तो तदर्थ नियुक्त व्यक्ति जो वास्तव में इस पद पर कार्यरत था, वह भी महानिदेशक (कार्य) के पद के लिए विचार किए जाने के लिए योग्य होने का दावा करेगा। उच्च न्यायालय ने स्वयं माना कि किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान की गई तदर्थ सेवा को पात्रता में नहीं गिना जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 10 से 14 में की गई टिप्पणियाँ जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक हैं, उन्हें निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है।

10. तीसरा, उच्च न्यायालय ने "ग्रेड में नियमित सेवा" शब्दों को वास्तविक भौतिक सेवा मानने में गलती की। यदि ऐसा था, तो तदर्थ नियुक्त व्यक्ति जो वास्तव में इस पद पर कार्य करता है, वह भी महानिदेशक के पद के लिए विचार किए जाने के लिए योग्य होने का दावा कर सकता है। उच्च न्यायालय ने स्वयं माना कि "किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान की गई तदर्थ सेवा पात्रता में नहीं गिनी जाएगी।"

11. अंत में, संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, नौवें संस्करण में "नियमित" शब्द की परिभाषा पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि इसका अर्थ है:

(1) किसी नियम या सिद्धांत के अनुरूप, व्यवस्थित; (2) सामंजस्यपूर्ण, सममित; (3) समय या तरीके से समान रूप से या गणनात्मक रूप से कार्य

करना या करना या आवर्ती होना, अभ्यस्त, स्थिर, व्यवस्थित; (4) एक मानक के अनुरूप होना 'शिष्टाचार' या प्रक्रिया, परंपरा के अनुसार सही; (5) उचित रूप से गठित या योग्य, दोषपूर्ण या शौकिया नहीं, किसी व्यवसाय को अपने मुख्य लक्ष्य के रूप में अपनाना।"

12. इसलिए "नियमित" शब्द का अर्थ "वास्तविक" नहीं है और उच्च न्यायालय को पहला प्रश्न इस पर विचार करना चाहिए था कि क्या कृष्णमूर्ति की नियुक्ति नियमित और नियमों के अनुसार थी या यह इस अर्थ में अनियमित थी कि यह नियमों के विपरीत थी। कानून का कोई सिद्धांत?

13. कुछ हद तक उचित निर्णय के माधवन बनाम भारत संघका मामला है, जहां पात्रता आवश्यकता "नियमित आधार पर" ग्रेड में आठ वर्ष थी। उस मामले में यह आयोजित किया गया था:

"हमारे विचार में, इसलिए, नियमित आधार पर अभिव्यक्ति का मतलब तदर्थ या स्टॉपगैप या पूरी तरह से अस्थायी आधार पर नियुक्ति के विपरीत नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति होगा।"

14. यह किसी का मामला नहीं है कि कृष्णमूर्ति को दी गई काल्पनिक पदोन्नति "अनियमित" थी। 22.2.1995 से अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में काल्पनिक पदोन्नति देकर, कृष्णमूर्ति को वास्तव में उस तिथि पर नियमित रूप से नियुक्त किया गया था।"

(9) आरएल एजी अग्रवाल (सुप्रा) के मामले में डिवीजन बेंच और राजोरिया (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट की उपरोक्त

टिप्पणियों से पता चलता है कि मार्च, 1980 से याचिकाकर्ता की प्रोफार्मा सेवा को गिना जाना चाहिए पदोन्नति, चयन ग्रेड और सेवानिवृत्ति लाभ सहित सभी सेवा लाभों के लिए।

(10) हमारी यह भी राय है कि याचिकाकर्ता को 1980 से पैनल में शामिल होने का लाभ दिया गया है, लेकिन इसे यह कहकर नहीं छीना जा सकता कि उसी अवधि को पदोन्नति और चयन ग्रेड के प्रयोजनों के लिए सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा। चूंकि याचिकाकर्ता को डीम्ड प्रमोशन दिया गया है और यह नियमों के दायरे में है, इसलिए इसे आकस्मिक सेवा नहीं कहा जा सकता। दूसरे शब्दों में, यह पत्र संख्या ई(जीपी)75/एल/58 दिनांक 27.2.78 में निहित निर्देशों के अंतर्गत गैर-अभ्यास सेवा के रूप में भी आएगा। याचिकाकर्ता इक्विटी में राहत का हकदार था। इसलिए, डीमिंग क्लॉज के लाभ को किसी भी नियम या निर्देश की तकनीकीता से पराजित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि याचिकाकर्ता को उसकी वापसी पर तुरंत पदोन्नत किया गया होता, तो उसने द्वितीय श्रेणी के पद पर तीन साल की वास्तविक सेवा भी पूरी कर ली होती और चयन ग्रेड का हकदार होता। हमारी सुविचारित राय है कि श्री जिंदल द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों का समर्थन नहीं करते हैं। रुद्र कुमार सेन (सुप्रा) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर संशोधित दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1970 की व्याख्या कर रहा था। फैसले में कहा गया है कि सेवा न्यायशास्त्र में "तदर्थ", "स्टॉपगैप" और "आकस्मिक" शब्द लगातार उपयोग में हैं। सेवा नियम के प्रावधानों की व्याख्या करते समय इन शर्तों को सौंपा जाने वाला अर्थ उस नियम के

प्रावधानों और उस सीमा और उद्देश्य पर निर्भर करेगा जिसके लिए अभिव्यक्तियों का उपयोग किया जाता है। कोई भी स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला रखना संभव नहीं है। एसएन ढींगरा (सुप्रा) के मामले में, फिर से यह माना गया है कि चाहे कोई नियुक्ति आकस्मिक हो या स्टॉपगैप, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तय किया जाना था और कोई सार्वभौमिक सिद्धांत निर्धारित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादियों ने स्वयं याचिकाकर्ता को 19.3.1980 से पैनल में शामिल होने का हकदार माना है। इसलिए, उसे परिणामी राहत देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।

(11) ऊपर बताए गए कारणों से, हम इस रिट याचिका को स्वीकार करते हैं, चयन में प्रोफार्मा पदोन्नति न देने के संबंध में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.2.2001 (अनुलग्नक पी-4) में की गई टिप्पणियों को रद्द करते हैं। याचिकाकर्ता को ग्रेड. उत्तरदाताओं को एक निर्देश जारी किया जाता है कि प्रोफार्मा पदोन्नति, यदि पहले से जारी नहीं की गई है, सभी परिणामी लाभों और चयन ग्रेड के साथ उस तारीख से जारी की जाए जो याचिकाकर्ता से कनिष्ठ व्यक्तियों को दी गई थी। चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है, इसलिए उत्तरदाताओं को सेवानिवृत्ति लाभों की फिर से गणना करने का निर्देश दिया जाता है। इस प्रति की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को परिणामी राहत दी जाए।

अभिस्वीकृति- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इससे समझ सके और किसी अन्य उद्देस्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यायहारिक और आधिकारिक निर्णय

का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देस्य के लिए उपयुक्त होगा।

अनुराग यादव

प्रसिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TraineeJudicialofficer)

नारनौल, हरियाणा